न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 110/2016/डिक्री

1. शंभुलाल पिता काना गुर्जर
2. एजनबाई पिता काना गुर्जर
3. अमरचन्द पिता नारायण गुर्जर
4. मांगीलाल पिता नारायण गुर्जर
5. 10/1 प्रेमबाई विधवा मांगीलाल गुर्जर
6. 10/2 छितरलाल पिता मांगीलाल गुर्जर
7. 10/3 बहादुर उर्फ बादर पुत्र मांगीलाल गुर्जर
8. रतना पिता नारायण गुर्जर
9. देराम पिता नारायण गुर्जर
10. उदा पिता नारायण गुर्जर

सभी निवासी काटुन्दा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. गिरधारसिंह पिता मौडसिंह राजपूत
   निवासी गंगापुर (नई आबादी) तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
2. बालू पिता नारायण गुर्जर
   निवासी काटुन्दा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
3. राज्य जरिये तहसीलदार, बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
दिनांक 09.03.2016 प्रकरण सं. 102/2012

उपस्थित – 1. श्री सत्यनारायण ईनाणी – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1

निर्णय दिनांक – 18.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि ग्राम काटुन्दा प0ह0 काटुन्दा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 13 तक की संयुक्त भूमि अवस्थित है। खाता संख्या 136 आराजी संख्या 1153 रकबा 2.60 है0, आ.स. 1154 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 1155 रकबा 0.02 है0, आ.स. 1156 रकबा 1.66 है0, आ.स. 1157 रकबा 0.83 है0, आ.स.

1158 रकबा 2.91 है0 कीता 6 आ.स. 6 रकबा 8.44 है0। यह कि वादवर्णित उक्त भूमि मे वादी गिरधारी सिह का 1/3 हिस्सा भूमि होकर वादी इस भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं इसका उपयोग उपभोग कर रहा है, शेष 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 का है व शेष 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 14 तक का है सभी हिस्सेदारो ने मौके पर आपसी सहमति से बंटवाडा कर रखा है एवं काबिज होकर अपने हिस्से पर काश्त कर रहे है। भूमि का वैधानिक तौर पर विभाजन नही होने के कारण ऋण लेने मे लगान अदा करने मे कानूनी परेशानियां का सामना वादी को करना पडता एवं सीमा सम्बन्धी विवाद भी हमेशा पैदा होते रहते है। इसलिये वादी अपने हिस्से 1/3 भूमि का वैधानिक तौर पर विभाजन करवाना चाहता है।

2. रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ने अपीलान्टस व अन्य के विरूद्ध जायदाद के विभाजन का वाद प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया उस डिक्री एवं निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय की प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय विधि एवं तथ्यो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वैधानिक स्थिति का सही विवेचन नही किया और तनकी संख्या 1 का निर्णय अपीलान्टस के विरूद्ध करने मे योग्य अधीनस्थ न्यायाजय ने गलती की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने वाद को साक्ष्य से प्रमाणित नही कर पाये है। इसके बावजूद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान की जो निरस्त होने योग्य है। तनकी संख्या 2 का निर्णय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे करने मे व अपीलान्टस के विरूद्ध करने मे योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का पूर्व वाद साक्ष्य के अभाव मे खारीज किया गया था और उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी खारीज की गई थी। ऐसी स्थिति मे निर्णय रेसज्युडिकेटा का असर रखता है, यह वाद चलने योग्य नही है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं वाद मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे मौके पर साक्ष्य नही लाने के कारण साक्ष्य बन्द कर दी गई। इन्ही आराजीयात के सम्बन्ध मे पूर्व मे भी दावा चला था जिसका अनवान यही था तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर बेगूं का प्रकरण संख्या 14/89 था जो दिनांक 02/04/2002 को खारीज कर दी गई। जिसकी

अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को हुई थी जिसका नम्बर 101/2005 /डिक्री मे दिनांक 08/03/2011 को निर्णय पारित करते हुए खारीज कर दी गई। उक्त निर्णय की रिवीजन राजस्व मण्डल नही ली है। साथ ही यह भी उल्लेख किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वैधानिक स्थिति का सही विवेचन नही किया और तनकी संख्या 1 का निर्णय अपीलान्टस के विरूद्ध करने मे योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने गलती की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने वाद को साक्ष्य से प्रमाणित नही कर पाये है। इसके बावजूद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान की जो निरस्त होने योग्य है। तनकी संख्या 2 का निर्णय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे करने मे व अपीलान्टस के विरूद्ध करने मे योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का पूर्व वाद साक्ष्य के अभाव मे खारीज किया गया था और उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी खारीज की गई थी। ऐसी स्थिति मे निर्णय रेसज्युडिकेटा का असर रखता है, यह वाद चलने योग्य नही है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं वाद मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 20/01/16 को अपीलान्ट स्वंय ने साक्ष्य बन्द कराई है। जब पूर्व मे ही वाद निर्णित हो चुका है तो यह बार–बार नही चलाया जा सकता। इस पर रेसज्युडिकेटा का सिद्वान्त लागू नही होता है क्योकि पूर्व के वाद मे गोदनामे को लेकर विवाद रहा है। वादपत्र की चरण संख्या 4 मे सब कुछ स्पष्ट किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 का वाद इसलिये खारीज किया गया कि सिविल न्यायालय मे वाद पेडिंग है। राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा भी इसी विधिक बिन्दू पर अपील खारीज हुई है। उनके द्वारा अपने हक मे आरआरडी 2007 पेज 603 तथा आरआरडी 2016 पेज 782 प्रस्तुत की जिसमे यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई वाद गुणावगुण के आधार पर निर्णित नही होता है तो वाद दुबारा लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने के कारण अपील अपीलान्टस खारीज होने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय, रिकार्ड एवं साक्ष्य को ध्यान मे रखते हुए निर्णय पारित नही किया गया है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्टस स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ द्वारा प्रकरण संख्या 102/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 09/03/2016 अपास्त करते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर एवं निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्षो की सुनवाई करते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ